

राजस्थान सरकार
आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग
जयपुर, दिनांक :- 30.08.22
क्रमांक-एफ.10(14)आयु./2022 पार्ट 5

--: आदेश :-


प्रशासनिक कारणों से लोकहित में निम्नांकित वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, ग्रेड-1/ वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी ग्रेड-11/ होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों के स्थानान्तरण/ पदस्थापन प्रशासनिक कारणों से उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं :-

क्र. सं.	नाम कार्मिक	पदनाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	नवीन पदस्थापन स्थान
1	डॉ. नेहा भागिया	SMO-2	राज. होम्यो. चिकि. खाटूरयामजी, सीकर	राज. होम्यो. चिकि. मालवीय नगर गुरुद्वारा सेक्टर 3, जयपुर में डॉ. उमेश फतेहपुरिया के स्थान पर
2	डॉ. उमेश फतेहपुरिया	SMO-1	राज. होम्यो. चिकि. मालवीयनगर गुरुद्वारा सेक्टर 3, जयपुर	राज. होम्यो. चिकि. खाटूरयामजी, सीकर में डॉ. नेहा भागिया के स्थान पर
3	डॉ. तिकन्दर नीजा	MO	राज. होम्यो. औष. कैलादेवी, करौली	राज. होम्यो. औष. दांदाकुई दात्ता में एसएमओ-11 के रिक्त पद पर
4	डॉ. प्रियंका गरिमा	MO	राज. होम्यो. औष. विद्यावर नगर जयपुर	राज. होम्यो. औष. चौकरी तोपखानादेश जयपुर में डॉ. सारिका शर्मा के स्थान पर
5	डॉ. सारिका शर्मा	MO	राज. होम्यो. औष. चौकरी तोपखानादेश जयपुर	राज. होम्यो. औष. विद्यावर नगर जयपुर में डॉ. प्रियंका गरिमा के स्थान पर
6	डॉ. सुनीता ढाल	MO	राज. होम्यो. औष. बागडोदा, सीकर	राज. होम्यो. औष. हिरणनगरी सेक्टर-9, उदयपुर में डॉ. दिव्या वर्मा के स्थान पर
7	डॉ. दिव्या वर्मा	SMO-2	राज. होम्यो. औष. हिरणनगरी सेक्टर-9, उदयपुर	राज. होम्यो. औष. बागडोदा, सीकर में डॉ. सुनीता ढाल के स्थान पर
8	डॉ. रमा किशोर चौधरी	MO	राज. होम्यो. औष. सहनावली, भरतपुर	ब्लॉक आयुष चिकि. सेवर भरतपुर में रिक्त पद पर
9	डॉ. अंजना कामरा	MO	राज. होम्यो. औष. उप जिला चिकि. नोहर, हनुमानगढ़	शहरी पीएचसी होम्यो. हनुमानगढ़ ज. में डॉ. सीटा गुप्ता की सेवानिवृत्ति से रिक्त होने वाले पद पर
10	डॉ. चन्द्रप्रकाश गोयल	MO	राज. होम्यो. चिकि. रेलावन बारां	राज. होम्यो. चिकि. तानान्य चिकित्सालय एक छत बूंदो

Dr. Neeta
 30/08/22

उक्त में से जिन अधिकारियों का स्थानान्तरण/पदस्थापन प्रशासनिक कारणों से किये गये हैं, उनके नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा।

2. उपर्युक्त स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश में किसी अधिकारी/पदस्थापन स्थान के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश हो तो उसकी क्रियान्विति निदेशालय/शासन से पूर्व अनुमति उपरान्त ही किया जाना सुनिश्चित करें।
3. किसी अधिकारी द्वारा पूर्व में ही माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन प्राप्त कर रखा हो तो उसकी क्रियान्विति विधिक परामर्श उपरान्त सक्षम स्वीकृति प्राप्त करें।

आज्ञा से,

 (आर.एन.शर्मा)
 शासन उप सचिव


राजस्थान सरकार
 निदेशालय होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग, राजस्थान जयपुर

आयुष भवन सेक्टर 26 प्रतापनगर जयपुर-302033

क्रमांक:-प्रति-1/हो.चि./पदस्थापन/स्था./2021/5917-27 दिनांक:- 30.08.22

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय आयुर्वेद मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, जयपुर।
3. उप शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, जयपुर को आदेश क्रमांक एफ.10(14)आयु./2022 पार्ट 5 जयपुर, दिनांक 30.08.2022 के क्रम में सूचनार्थ।
4. विभागीय नोडल अधिकारी (विभागीय बैवसाइट) को दी जाकर लेख है की विभागीय बैवसाइट पर आज ही अपलोड करावे एवं सम्बन्धित कार्मिकों को ई-मेल/WhatsApp कर सूचित करे।
5. सम्बन्धित प्रभारी पी.एच.सी./सी.एच.सी./ जिला अस्पताल।
6. सम्बन्धित, वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी ग्रेड-II/होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी डॉ. को वर्तमान पदस्थापन स्थान से कार्यमुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है की तत्काल नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर इस विभाग को अवगत करावे साथ ही उपर्युक्त स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश में किसी अधिकारी/पदस्थापन स्थान के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश हो तो उसकी क्रियान्विति निदेशालय/शासन से पूर्व अनुमति उपरान्त ही किया जाना सुनिश्चित करे।
7. कार्यालय की लेखा शाखा/कैश/विधि /सामान्य शाखा/स्टोर शाखा/सांख्यिकी शाखा।
8. रक्षित पत्रावली।


 (डॉ. रेणु बंसल)
 निदेशक